

4.11.25

उभय पक्ष उपस्थित। वाडवाडी स्वीकार किया जाता
है। विस्तृत गिठि अर्ज दे लिएनामा जाकर शामिल
मिफल किया गया। गिठि अनुक्रम परमा डिक्री जारी
हो। पत्रावली नंबर ले कर होकर दारिजल इफ्तार हो।
आदेश लेते इनलाह हुनादा गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

G/CMS
2025/617



न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 309/2025 G.C.M.S. 2025/617

दायरा दिनांक : 09.10.2025

विष्णुराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी बिलोचिया तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. संतराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मेघवंशी निवासी चक 1 डी.बी.एन. 'बी' तहसील
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
3. श्रीमान उप पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए. 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :

1. सुरेन्द्र कुमार सुथार एडवोकेट : वादी
2. राजवीर भादू एडवोकेट : प्रतिवादी

निर्णय : 04.11.2025

आज यह वादपत्र वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुआ। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 'ए' 209 आर.टी.ए. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि जिसमें प्रतिवादी नं. 01 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 डी.बी.एन. 'बी' के खाता नं. 86/69 के पत्थर नं. 37/266 (4) के किला नं. 1/2 में 0.076 है० नहरी, 2/1 में 0.228 है० नहरी, 2/2 में 0.025 है० गै.मु. रास्ता 3/1 में 0.228 है० नहरी, 3/2 में 0.025 है० गै.मु.रास्ता 4/1 में 0.228 है० नहरी, 4/2 में 0.025 है० गै.मु.रास्ता 5/1 में 0.228 है० नहरी, 5/2 में 0.025 है० गै. मु.रास्ता 6 ता 13 में 2.024 है० = 3.112 है० नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.556 है० नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि दर्ज कागजात थी। जिसकी जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 से साबित है। प्रतिवादी नं. 01 द्वारा अपने नाम से अंकित भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 23.04.2025 को रोबरू गवाहान संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 डी.बी.एन. 'बी' के खाता नं. 86/69 के पत्थर नं. 37/266 (4) के किला नं. 1/2 में 0.076 है० नहरी, 2/1 में 0.228 है० नहरी, 2/2 में 0.025 है० गै.मु.रास्ता 3/1 में 0.228 है० नहरी, 3/2 में 0.025 है० गै.मु.रास्ता 4/1 में 0.228 है० नहरी, 4/2 में 0.025 है० गै.मु.रास्ता 5/1 में 0.228 है० नहरी,

क्रमशः पेज 02 पर



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2)

5/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 6 ता 13 में 2.024 है0 = 3.112 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.556 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि का बैयनामा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर वादी के पक्ष में तहरीर करवाकर पंजीबद्ध करवा दिया है एवं कब्जा भूमि का मौका पर मय पानी वादी को सौंप दिया और प्रतिवादी नं. 01 द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि बैयनामा पर प्राप्त कर सब रजिस्ट्रार सूरतगढ़ से तहरीर किया जाकर पंजीबद्ध करवाद दिया गया। मुताबिक बैयनामा वादी ने प्रतिवादी नं. 01 के खिलाफ खातेदारी घोषित करवाने का वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात नोटिस जारी होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी नं. 01 के मध्य राजीनामा हो गया। इस पर वादी एवं प्रतिवादी नं. 01 ने दिनांक 28.10.2025 को मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने व इकबाल जवाब दावा पेश होने के बाद दावा डिक्री करने का निवेदन किया जो राजीनामा दिनांक 28.10.2025 व इकबाल जवाब दावा शामिल मिसल किया गया।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादी का वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मुताबिक बैयनामा दिनांक 23.04.2025 के आधार पर वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 डी.बी.एन. 'बी' के खाता नं. 86/69 के पत्थर नं. 37/266 (4) के किला नं. 1/2 में 0.076 है0 नहरी, 2/1 में 0.228 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 3/1 में 0.228 है0 नहरी, 3/2 में 0.025 है0 गै. मु.रास्ता 4/1 में 0.228 है0 नहरी, 4/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 5/1 में 0.228 है0 नहरी, 5/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 6 ता 13 में 2.024 है0 = 3.112 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.556 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि प्रतिवादी नं. 01 के नाम का रकबा कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात बहस पर मनन किया एवं साक्ष्य एवं सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 01 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक व बैयनामा दिनांक 23.04.2025 के आधार पर प्रतिवादी नं. 01 के नाम अंकित भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 डी.बी.एन. 'बी' के खाता नं. 86/69 के पत्थर नं. 37/266 (4) के किला नं. 1/2 में 0.076 है0 नहरी, 2/1 में 0.228 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 3/1 में 0.228 है0 नहरी, 3/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 4/1 में 0.228 है0 नहरी, 4/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 5/1 में 0.228 है0 नहरी, 5/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 6 ता 13 में 2.024 है0 = 3.112 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.556 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि कलमजन की जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज यह निर्णय सरे इजलास दिनांक ५.11.2025 को सुनाया गया।




सहायक जिला न्यायाधीश
एवं सूरतगढ़ जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

--: परचा डिक्री :-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
(बइजलास :- भरत जयप्रकाश मीणा आई.ए.एस.)

विष्णुराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी बिलोचिया तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. संतराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मेघवंशी निवासी चक 1 डी.बी.एन. 'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
3. श्रीमान उप पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188, 92 'ए' व 209 आर.टी.ए के मुकदमा नं. 309 वर्ष 2025 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजिर वादी एडवोकेट श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार च प्रतिवादी नं. 01 की तरफ से एडवोकेट राजवीर भादू के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 डी.बी.एन. 'बी' के खाता नं. 86/69 के पत्थर नं. 37/266 (4) के किला नं. 1/2 में 0.076 है0 नहरी, 2/1 में 0.228 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 3/1 में 0.228 है0 नहरी, 3/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 4/1 में 0.228 है0 नहरी, 4/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 5/1 में 0.228 है0 नहरी, 5/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता 6 ता 13 में 2.024 है0 = 3.112 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.556 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि मे से प्रतिवादी नं. 01 के नाम अंकित भूमि मुताबिक बैयनामा दिनांक 23.04.2025 के आधार पर कलमजन की जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

नोज -----X----- मुबलिंग -----X----- बाबत -----X----- खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह -----X----- फस्दों की पालना -----X----- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत में दिनांक 4.11.2025 को जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
सूरतगढ़ (रा.ज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।